न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— 22/2024

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पुरखाराम पुत्र मालाराम जाति सुथार निवासी बामरला डेर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अजान पुत्र गुल मोहम्मद 2. मासुकअली पुत्र अब्दूलगफार 3. वलीमोहम्मद पुत्र अब्दूलगफार 4. विलायत पत्नी शोकतअली 5. शमशुदीन पुत्र इसमाईल 6. सिदीक पुत्र वलीमोहम्मद 7. हुरमत पत्नी अब्दूलगफार जातियान मुसलमान निवासीगण भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 8. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

उपस्थितः वादी वकील— श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2025

वादी पुरखाराम पुत्र मालाराम जाति सुथार निवासी बामरला डेर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "वादी की खातेदारी एवं मालिकाना अधिकारो की भूमि मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम — गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06—05 बीघा) की आई हुई है। उक्त भूमि वादी के स्वयं की खातेदारी भूमि है। जिसके समस्त प्रकार के खातेदारी हक, हकूक वादी को प्राप्त है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे — काश्त में दखलन्दाजी की जाने लगी तब वादी द्वारा अपने खातेदारी की भूमि मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम — गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06—05 बीघा) की नेखमबंदी करवाने हेतु श्रीमान उपखंड अधिकारी सेड़वा के न्यायालय में नेखमबंदी करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। नकल नेखमबन्दी आदेश, फर्द मौका व नक्शा की साथ पेश की जा रही है। वादी ग्रामीण एवं अनपढ़ व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण बहुत ही रोबदार एवं असरदार व्यक्ति है तथा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

पैसे वाली पार्टी है। वादी का निर्बल होने का बेजा फायदा उठाकर वादी के उक्त खातेदारी के मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम – गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) में प्रतिवादीगण (मौजा भंवार के खसरा संख्या 277 के खातेदारों) ने जबरन एवं अवैध रूप से खेत में घुसकर खेत के चारों ओर की गई तारबंदी तोड़कर खेत में जबरन अतिक्रमण कर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया, जिस पर वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखंड अधिकारी, सेड़वा के समक्ष अपने खेत की नेखमबंदी करने हेतु आवेदन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वादीनी के मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम – गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) भूमि की पक्की नेखमबंदी करने का आदेश जारी किया गया। उसके बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा नेखमबंदी की कार्रवाई प्रारम्भ की गई तब वादी के खेत मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम – गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) भूमि पर संलग्न मौका फर्द में वर्णितानुसार वादी के खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) के आंशिक हिस्से पर बिन्दु A से B तक रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि पर अवैध व नाजायज कब्जा दौराने नेखमबंदी करते वक्त पाया गया जिस पर वादी, सेढ़ा पडौसान व राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा हटाने कहा गया, लेकिन प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना किया। वादी द्वारा इस संबंध में गांव के मौजीज लोगों से पंचायती करवाई, लेकिन प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया तब राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी/वादी को सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने की समझाइश एवं हिदायत दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाये जाने से वादी को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति हो रही है व साथ ही साथ वादी के खातेदारी हक हकूको व अधिकारो का भी हनन हो रहा है। इससे वादी को भविष्य मे भी क्षति होगी। वादी ने प्रतिवादीगण के उक्त जबरन एवं अवैध अतिक्रमण व कब्जे को लेकर अपनी भूमि की सक्षम न्यायालय से नेखमबन्दी भी करवाई, जिसमें भी यह जमीन, वादीनी की खातेदारी की होनी प्रमाणित होने के बावजूद भी ताकत के बल पर कब्जा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

नहीं दे रहे है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा किया है, जिस पर अन्य निर्माण करने हेतु उतारू है। यदि ऐसा हो जाता है तो वादीनी के हक हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा। इसलिए वादी के खेत मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम – गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) के आंशिक हिस्से पर बिन्दु A से B तक रकबा 0.24 हैक्टेयर पर बरंग गुलाबी दर्शाया गया पर अवैध व नाजायज कब्जा दौराने नेखमबंदी करते वक्त पाया गया पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटवा कर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिए कब्जा प्राप्ति हेतु भी यह वाद प्रस्तुत है। वादीनी के खातेदारी के खेत में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है इससे वादी को प्रतिवर्ष 50,000 रू. की आर्थिक क्षति हो रही है। फलत् प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने व जब तक वादी को कब्जा प्राप्त न हो जाये प्रतिवादीगण से वादी को प्रतिवर्ष 50,000 रू. हर्जाना के रूप में दिलवाया जावे। वादी की प्रार्थना है कि वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जे को अनाधिकृत घोषित कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे एवं कब्जा प्राप्ति तक प्रतिवर्ष 50,000 रू. हर्जाना के प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे एवं कब्जा प्राप्त करवाने के साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह वादी के खातेदारी भूमि के मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम – गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा वाद के विचारण रहते प्रतिवादीगण मौके एवं रेकर्ड में किसी तरह का रद्दोबदल न करे। अतः वादी की प्रार्थना है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे –

(क) मौजा बामडला डेर (वर्तमान ग्राम – गणपति नगर) पटवार हल्का भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 678/281 क्षेत्रफल 1.0117 हैक्टेयर (06–05 बीघा) भूमि पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटाया जाकर उस पर पुनः वादी का कब्जा दिलवाया जावे।''

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी कोई उप. नही हुआ, अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वादी की ओर से वादपत्र को सावित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW-1 पुरखाराम पुत्र मालाराम जाति सुथार निवासी बामरला डेर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर व PW-2 मेवाराम पुत्र लालाराम जाति कोली निवासी पांचरला हाल बामरला डेर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 (ई.एक्स.पी.01) जमाबंदी(खेवट/खतोनी)(प्रतिलिपि) अंतिम चौसला आधार संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी मौजा गणपति नगर पटवार क्षेत्र भंवार तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 44 के खसरा संख्या 678/281 रकबा 1–0117 हैक्टेयर किस्म गै.मु.धोरा, प्रदर्श 02 (ई.एक्स.पी.02) खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि) मौजा गणपति नगर पटवार क्षेत्र भंवार तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 44 के खसरा संख्या 678/281 रकबा 1–0117 हैक्टेयर किस्म गै.मु.धोरा व प्रदर्श 03 ई.(एक्स.पी.03) नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 मौजा गणपति नगर पटवार क्षेत्र भंवार तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 44 के खसरा संख्या 678/281 रकबा 1–0117 हैक्टेयर किस्म गै.मु.धोरा की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

वकील वादी उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उन पर वादी वकील की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन–मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अधि. 1955 आंशिक स्वीकार योग्य है। अस्तु, वादी का वाद आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 (प्रदर्श 03) में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा गणपति नगर पटवार क्षेत्र भंवार तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 44 के खसरा संख्या 678/281 रकबा 1–0117 हैक्टेयर किस्म गै.मु.धोरा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा बरंग गुलाबी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को अवैधानिक

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादी को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोट(प्रदर्श 03) दिनांक 18.04.2023 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(बदीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

पृष्ठ (3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 2458 दिनांकः– 30-06-2023

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– नेखमबंदी आदेश की पालना भिजवाने वावत।

प्रसंगः– आपका का पत्रांक / भू.अ. / 2022 / 811 दिनांक 22.06.2022 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है राजस्व वाद संख्या 116 / 2022 वादी पुरखाराम वगैरह अनवान केशा वगैरा मौजा बामड़ला डेर के खसरा नंबर 678 / 281 रकबा 1.0117 हैक्टर भूमि का भू मापक नियुक्त किया गया था। भू.अभिलेख निरीक्षक सेड़वा (भू मापक आयुक्त) द्वारा दिनांक 18.04.2023 को उक्त खसरान की मौके पर पैमाइश कर दोनों पक्षों के रूबरू खसरा न 678 / 281 के बिन्दू A से D कायम कर बिन्दू C व D पर पक्के नेखम स्थापित किये गये जबकि बिन्दू A व B पर पड़ोसी खतेदारों द्वारा ऐतराज व विवाद उत्पन होने तथा नक्शे में बरंग लाल से दर्शायी गई 0.24 हैक्टर भुमि पर पड़ोसी खसरा न 198 का कब्जा काश्त होने से नेखम स्थापित नहीं किये गए। कायम किये गए नेखम बिन्दुओं की नेखमबंदी की फर्द मौका रिपोर्ट व पड़ोसी खसरा न 277 के काश्तकारों का खसरा नंबर 678 / 281 की 0.24 हैक्टर भुमि पर नाजायज कब्जा की स्थिति वरंग लाल दर्शायी जाकर इस कार्यालय में पेश की मूल रिपोर्ट प्रति हस्ताक्षर के इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

अतः मा. न्यायालय द्वारा नेखम पुष्टी की कार्यावाही होने व नाजायज कब्जा काश्त की 0.24 हैक्टर भुमि के संबंध में मा.न्यायालय के निर्णय के अनुसार पालना की जाएगी।

सलंग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार(भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

फर्द मौका - नेखमबंदी

आज दिनांक 18/04/2023 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू.अ./1606-07 दिनांक 12/04/2023 एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 116/2[illegible] अनवान पुरखाराम बनाम केशा वगैरह में ग्राम बामड़लाडेर (वर्तमान गणपतिनगर) के ख०न० 678/281 रकबा 1.0117 है० भूमि की नेखमबंदी करने पटवारी हल्का भंपार के साथ मौके पर आया।

मौके पर प्रार्थी व अन्य मौतबरान पूर्व सूचना के उपस्थित मिले। प्रार्थी पुरखाराम पुत्र मालाराम जाति सुथार निवासी बामड़लाडेर के ख०न० 678/281 रकबा 1.0117 है० किस्म गै०मु० धोरा भूमि की पैमाईश श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) बाड़मेर द्वारा जारी मोमी ट्रेस क्रमांक 1728 जारी दि० 08/7/4 एवं लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुसार पैमाईश की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार है:-

ग्राम बामड़लाडेर के ख०न० 678/281 रकबा 1.0117 है० भूमि [illegible] बिन्दु नाप सं. A से B 26 गट्ठा, B से C 96 गट्ठा, C से D 30 गट्ठा, D से A 96 गट्ठा माप कर निशानात कायम किये।

बिन्दु सं. A व B पर पड़ौसी ख०नं. 277 के खातेदारो [illegible] एतराज करने पर अस्थायी नेखम लगाये गये तथा बिन्दु सं C व D पर पक्की नेखमबंदी की गई।

बिन्दु सं. A व B (संलग्न नक्शा ट्रेस) के बीच 23 गट्ठा × 26 गट्ठा रकबा 0.24 हैक्टर भूमि पर ख०नं. 277 के खातेदारों का अवैध कब्जा जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से छायांकित कर दर्शाया गया है।

राजस्व आवेदन सं. 116/2022 अनवान पुरखाराम बनाम केशा व[illegible] मे नेखमबंदी हेतु पड़ौसी खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाये ग[illegible]

फर्द मौका नेखमबंदी के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस जिस पर नेखमबंदी [illegible] बिन्दुओ का नाप अंकित है फर्द मौका का अभिन्न अंग है।

फर्द मौका नेखमबंदी पढ़कर सुनाई गई। पुन समझकर हस्ताक्षर/अ.[illegible] अंकित करवाये।

18/4/23
प. भंपार

18/04/202[illegible]
ILR सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

पुरखाराम

मेराराम

अ.नि. मेवाराम कोली

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर.......
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर.......

डिबलसार
ग्रामडलाडेर
तहसील – सेड़वा

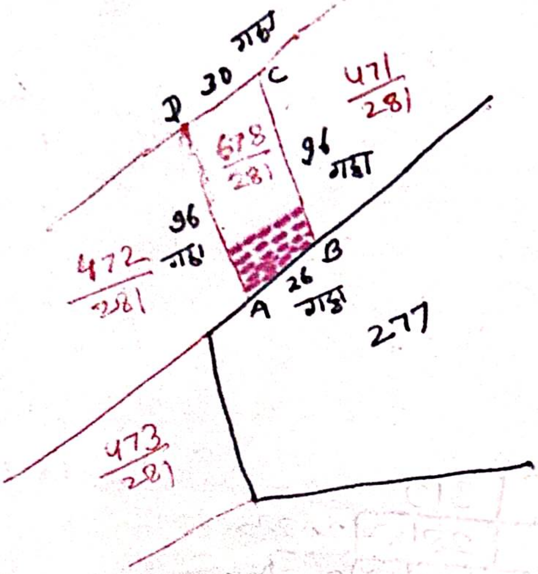

नेखमबंदी नाप

बिन्दु
1) A से B = 26 गट्ठा
2) B से C = 96 गट्ठा
3) C से D = 30 गट्ठा
4) D से A = 96 गट्ठा

संकेत वरंग

▆ – गुलाबी रंग से दर्शित छायांकित भाग रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि पर खसरा 277 के खातेदारो का कब्जा है। अवैध (बिन्दु सं. A से B के बीच) (23 × 26 गट्ठा)

18/4/23
भू० अभि०

18/04/23
ILR सेड़वा

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

तहसीलदार सेड़वा

पुरखाराम मेराराम

अ.नि. मेवाराम कोली

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा